

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 2015/फाल्गुन 5, 1936

No. 110]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24, 2015/PHALGUNA 5, 1936

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2015

सा.का.नि. 118(अ).—डिजाइन (संशोधन) नियम, 2014 से सम्बद्ध तारीख 30 दिसम्बर, 2014 को सा.का.नि. 925(अ) के अंतर्गत भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की अधिसूचना में,—

- (i) पृष्ठ 1 पर, राजपत्र के ब्लॉक में, “उपखण्ड (ii),” के स्थान पर “उपखण्ड” (i) पढ़ा जाए;
- (ii) हिन्दी पाठ में,—
 - (क) पृष्ठ 5 की पंक्ति 37 में “2 (छ),” के स्थान पर “2 (ड.क)” पढ़ा जाए;
 - (ख) पृष्ठ 6 की पंक्ति 2 में “2 (छ),” के स्थान पर “2 (ड.क)” पढ़ा जाए;

[फा. सं. 5/6/2013-आईपीआर-V]

शत्रुघ्न सिंह, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Industrial Policy and Promotion)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 24th February, 2015

G.S.R. 118(E).— In the notification of the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy & Promotion published in the Gazette of India vide G.S.R. 925(E) dated 30th December, 2014 relating to Design (Amendment) Rules, 2014 :-

- (i) in page 1, in the Block of the Gazette, for “Sub-section (ii)”, read “Sub-section (i)”;
- (ii) in the English Version :-
 - (a) in page 10, line 48 for “2(g)”, read “2(ea)”;
 - (b) in page 11, line 3 for “2(g)”, read “2(ea)”.

[F. No. 5/6/2013-IPR-V]

SHATRUGHNA SINGH, Addl. Secy.